

2025/988

फर्द अहकाम
(नियम 15)

निर्णय

02.1.2026

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ
भवानी शंकर बनाम ओमगर आदि

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट

प्रकरण संख्या 634 वर्ष 2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुये
16.12.2025	<p>वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तल्ब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 22.12.2026 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">o.</p>	
22.12.2025	<p>ककुलार फरिडुल उपाधिकर (पुल्लिवडी) 100/17 पने जिले के वकील रवि कुमार उपाधिकर आकर देखावत फरका पेश किया। जिसे शाखिल कारिल किया गया। पत्रावली आते स्टेट जजक आदिना लगीफ 24-12-2025 के पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">o.</p>	<p>ओमगर द्रोपती रिनु मौनु आल रजिवाणीगणतः का # वकील रवि कुमार</p>
24.12.2025	<p>ककुलार फरिडुल उपाधिकर (पुल्लिवडी) 100/17 पने जिले के वकील रवि कुमार उपाधिकर आकर देखावत फरका पेश किया। जिसे शाखिल कारिल किया गया। पत्रावली आते स्टेट जजक आदिना लगीफ 24-12-2025 के पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">o.</p>	<p>मेय मे 24/12/25</p>
24.12.2026.	<p>ककुलार फरिडुल उपाधिकर स्टेट जजक आदिना लगीफ 24-12-2025 के पेश हो। पत्रावली का उपरलो कस किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट व वादी-पुल्लिवडी की सहमति से आचार पर काउ वकील रिक्ती किया जला है। पूर्ण-निवण सरित निर्णय अलग से निष्काप जाकर शाखिल कारिल किया जके। पत्रावली नम्बर के कस की जाकर काउ लगीफ लगील जाया कारिल फलत हो।</p> <p style="text-align: center;">o.</p>	

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

